निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 46/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. प्रेम चन्द कुमावत पुत्र स्व॰ श्री लाल चन्द कुमावत जाति कुमावत निवासी 194/11, कुतरों की ढाणी, ढाणी कुमावतान, कस्बा व तहसील सांगानेर, जिला, जयपुर।
2. नारायण कुमावत पुत्र स्व॰ श्री लाल चन्द कुमावत जाति कुमावत निवासी प्लाट नम्बर 24, गुरू गोरक्ष कालोनी, नगर निगम स्टेडियम के पास, सांगानेर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिम्मत सिंह आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर, द्वितीय।
2. गोपाल
3. खेमचन्द
4. गणेश
5. राकेश
6. नन्दकिशोर

पिसरान स्व॰ श्री नाथूलाल

समस्त जाति कुमावतान निवासीगण कुत्तरों की ढाणी, बागडों के बड के पास, सांगानेर, जयपुर

7 श्रीमती पताशी देवी पुत्री स्व॰ श्री नाथूलाल पत्नी श्री सुवालाल कुमावत निवासी कलवाडा, तहसील सांगानेर, जयपुर ।

8 श्रीमती सूरज देवी पुत्री स्व॰ श्री नाथूलाल पत्नी श्री सुरेश निवासी ग्राम पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर ग्रामीण ।

9 बाबूलाल पुत्र स्व॰ श्री जगन्नाथ

10 सीताराम पुत्र स्व॰ श्री जगन्नाथ

11 सोनू उर्फ संजीव पुत्र स्व॰ श्री लल्लू

समस्त जाति कुमावतान, निवासीगण कुत्तरों की ढाणी, बागडों के बड के पास, सांगानेर, जयपुर ।

12 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व॰ श्री जगन्नाथ

13 गौरीलाल पुत्र स्व॰ श्री जगन्नाथ

समस्त जाति कुमावतान, निवासीगण किसान कोलोनी, सांगानेर, जयपुर।

14 भंवर उर्फ भौरीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति कुमावत निवासी 62, गोपीनगर कोहिनूर सिनेमाघर के पास, सांगानेर, जयपुर ।

15 कालू पुत्र स्व॰ श्री जगन्नाथ जाति कुमावत निवासी माल की ढाणी, महावीर स्कूल के सामने, सांगानेर, जयपुर ।

16 श्रीमती आनी पुत्री स्व॰ जगन्नाथ पत्नी स्व॰ श्री गणेशनारायण जाति कुमावत निवासी नोदेश्वर मन्दिर, ज्योति नगर थाने के पास, लाल कोठी योजना, जयपुर ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

17 श्रीमती गणेशी पुत्री स्व॰ श्री जगन्नाथ पत्नी स्व॰ श्री गणेशनारायण जाति कुमावत निवासी प्लाट नम्बर 5, कुमावत कालोनी जैन मेडीकल, कुमावत किराणा स्टोर के पास, झोटवाडा, जयपुर ।

18 श्रीमती बीना पुत्री स्व॰ श्री जगन्नाथ पत्नी धर्मेन्द्र निवासी मिनर्वा सिनेमा के पीछे, 792, बाजरा बगीची, सांगानेर गेट, जयपुर ।

19 श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री अर्जुन लाल बागडा निवासी बागडों के बड के पास, सांगानेर, जयपुर ।

20 श्रीमती कृष्णा पत्नी स्व॰ श्री मदन लाल

21 पवन पुत्र स्व॰ श्री मदन लाल

22 श्रीमती किरण पुत्री स्व॰ श्री मदन लाल पत्नी श्री दिनेश कुमावत, निवासी कुमावत स्कूल के पीछे, सोडाला, जयपुर ।

23 श्रीमती ममता पुत्री स्व॰ श्री मदन लाल पत्नी सूरज निवासी गोल्यावास, पत्रकार कालोनी, मानसरोवर, जयपुर।

24 श्रीमती सुमन पुत्री स्व॰ श्री मदन लाल पत्नी सतीश निवासी न्यू सांगानेर रोड, अशोक पुरा, गली नम्बर 3, कुमावत स्कूल के पीछे, सोडाला, जयपुर ।

25 सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जयपुर ।

26 उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, तहसील सांगानेर जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 51/2024 ब उनवानी गोपाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री हरीश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दानाराम अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, लगायत 8 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.07.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 51/2024 ब उनवानी गोपाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 2 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दानाराम ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण एक ग्रामीण परिवेश के सीधे एवं सरल स्वभाव के वयोवृद्व व्यक्ति है जो कानूनी दावपेचों से कतई अनभिज्ञ है, किन्तु अप्रार्थीगण बेहद शातिर एवं चालाक प्रवृति के भू माफिया व्यक्ति है जिनके विरूद्व अनेकों मुकदमें दर्ज है जो प्रार्थीगण को येनकेन प्रकारेण व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में फंसा कर हैरान व परेशान करने की फिराक में है। अप्रार्थीगण ने अपनी उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र में मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है, किन्तु उनके विधिक वारिसान को जानबूझ कर अपने प्रार्थना पत्र में संयोजित नहीं किया जिससे अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन अबैट होने से खारिज किये जाने योग्य है इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार का पता भी अपूर्ण अंकित किया है तथा समस्त अप्रार्थीगण में से केवल अप्राथी संख्या 3 खेमचन्द के ही हस्ताक्षर करवा कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि अन्य अप्रार्थीगण को प्रोफार्मा पक्षकार नहीं बनाया गया । जिससे भी अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से मिन प्रार्थीगण ने इस बाबत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2024 को प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बिना प्रार्थना पत्र का जबाब दिये अर्मादित तरीके से बहस करना प्रारम्भ कर दिया तब प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 से उनके जबाब का अवसर बंद करते हुये समयाभाव के कारण बहस प्रार्थना पत्र हेतु आगामी पेशी हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीगण के उक्त अमर्यादित व्यवहार पर बिना कुछ कहे अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को कहा कि आप आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस कर ले अन्यथा मै वाद को रिस्टोर कर दूंगा। अप्रार्थी संख्या 1 के इस प्रकार से प्रार्थी संख्या 2 अचंम्भित हो गया जबकि प्रकरण में ना तो मृत व्यक्तियो के वारिसान की सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ है ना ही अप्रार्थीगण द्वारा कारित उक्त त्रुटियों की पूर्ति हुई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के बाजदायी प्रार्थना पत्र के साथ किसी आदेश के वाद पत्र संलग्न होने से भी बेहद आश्चर्यचकित है जिससे अब प्रार्थीगण को यकीन हो गया कि अब प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी 2 लगायत 8 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण प्रकरण का निस्तारण नहीं चाहते है। इसलिए मिथ्या एवं काल्पनिक

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरापों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner